1R.

INDIA

एक रुपया — एक रुपया

ONE RUPEE — भारत — ONE RUPEE

सदर का स्टांम्प विक्रयपत्र के लिये पुरवणी में शामिल है

२५।४-१९६८

सही

मदनलाल चौधरी

मदनलाल चौधरी

१ द.ले. का [illegible] ब्रजकुमारी
२ [illegible] १
३ [illegible] का स्थान :- सब रजिस्ट्रार कार्यालय [illegible] इन्दौर
४ नियोजन का नाम .... श्री. हेमन्तचंद्र ....
५ पंजी में क्रमांक .... [illegible] तारीख २५।४।६८
६ ली गई फीस रु. .... दो रुपये ....

[signature]

दस्तावेज लेखक का हस्ताक्षर

किये हुवे मकान की हदहदुद व चतु: सिमा निचे लिखे मुजब है:-

४११
१२।७।६८

१

सीताराम लालचंद चौधरी ...

सीताराम चौधरी ... चौधरी

H.C.M. ...
15-7-68

200 Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२०० रु.   Rs 200

भारत

दो सौ रुपया   TWO HUNDRED RUPEES

स्टाम्प ड्यूटी २००=००
रजि. ड्यूटी १६०=००
३६०=००

उपरोक्त लेख की नकल पेश की
व रजु की गई

माल पदाधिकारी,
नगर पालिक निगम इन्दौर

श्री

<u>मकान का विक्रीखत किंमत रूपये ८०००</u>

मकान का विक्रीखत रूपये देकर लिखवालेने वाले. श्री कैलाशचंद्र व प्रकाशचन्द्र पिता रामकिशनजी जाति अग्रवाल महाजन ठिकाना मल्हार गंज स्ट्रीट नं. १ म.नं. २२ इन्दौर इनोसे रूपये लेकर मकान का विक्रीखत लिख देने वाले. फर्म सिताराम - लालचंद चौधरी फर्म के मालिक मिठ्ठुलाल पिता श्री. सेठ सीतारामजी चौधरी व मदनलाल पिता श्री. सेठ मिठ्ठुलालजी चौधरी जाति अग्रवाल महाजन ठिकाना मल्हार गंज स्ट्रीट नं. २ म.नं. ११ इन्दौर विक्रीखत लिख देते है कि :-

हमारे मालकी और कब्जे का मकान शहर इन्दौर के मल्हार गंज स्ट्रीटनं.१ मे जुना म्यु०पा०नं. ६४ दलिया पट्टी व फिलहाल लगा हुवा म्यु०पा०नं. २२का है। सदर मकान पैकि आप जिस हिस्से मे रहते है। वहहमारे मालकी और कब्जे का मकान हमने आपको किंमत रूपये ८००० आठ हजार मे विक्री कर दिया है। विक्री किये हुवे मकान की हदहुदुद व चतु:सिमा निचे लिखे मुजब है:-

...२

सिताराम लालचंद चौधरी मयत्रे. मिठूलाल शिवलाल

चौधरी व मदनलाल मिठूलाल चौधरी इ.इ. मयतान दाखल

हाते केलानचंद गार्ग

100Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१००रु. Rs.100

भारत

एक सौ रुपया ONE HUNDRED RUPEES

मकान शहर इन्दौर के मल्हार गंज स्ट्रीट नं. १ मे म्यु०पा०नं. २२ पैकि चश्मे २ दो उत्तर मुखी २।। ढाई मजली है। जिसके आगे के भाग पर चद्दरे लगी है। व पिछे के भाग पर कवेलु है। सदर मकान ३ तीन पाट की दौड़ का होकर आगे पक्का ओटला है। व पिछे टीन शेड : लोसारी : है। व बाद पिछे खुल्ला बाड़ा है। व बाड़े के पूर्व पश्चिम तरफ जो कोट बना है। वह आपने बनाया है। पाखाना एक व बाथरूम एक फर्श के बाड़े मे बने है। यह पाखाना व बाथरूम आपने बनाया है। इस मकान को निकास उत्तर दक्षिण दोनों तरफ से है। नेवतों का बरसाती पानी व बारमाही पानी उत्तर दक्षिण दोनों तरफ गिरता है। व जाता है। इस मकान की पूर्व पश्चिम दोनों तरफ की दिवाले व पाट सब्के आपको बिक्री किये हुवे व मेरे मकान के सामलात मे है। याने आधी आधी दोनों तरफ से दोनों के हक की है। इस मकान की उत्तर दक्षिण लम्बाई आगे के ओटले से लगाकर पिछे के कोट तक फुट ९१ इक्यान्वे है। व पूर्व पश्चिम चौड़ाई आगे का उत्तर सिरा फुट १०-९ पौने ग्यारा है। व पिछे का सिरा फुट ११-३ ग्यारा फुट तीन इंच है। इस मकान की चतुः-

गवाह

सिलावटा लालचंद चौधरी मांगीलाल, सिटुवाल [illegible]

चौधरी व मदनलाल सिटुवाल चौधरी [illegible]

पो [illegible] चंद गार्ग [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

मदनलाल चौधरी

[illegible]

[illegible]

कानकमल मदनलालजी

जगनाथ बालकिशन

50Rs.

भारत INDIA

FIFTY RUPEES

५०रु 50RS

सिमा निचे लिखे मुजब है:-

१. पुर्व को हमारे मालकी का मकान है। जिसमे की गोविंदराम महाराज किराये से रहते है।

१. पश्चिम को हमारे मालकी कामकान जिसमे की बंसीलाल किशोरी लाल यह किराये से रहते है।

१. दक्षिण को गली

१. उत्तर को सड़क है।

उपर लिखे मुजब चतु: सिमा के भितका मकान सब कच्चा व खुला मय निचे की सब जमिन सुध्दां हमने आपको किंमत रूपये ८००० आठ हजार में बिक्री कर दिया है। बिक्री कियेहुवे मकान की किंमत के पुरेसे रूपये ८००० आठ हजार हम आपकी तरफ से मकान पर लेकर भरपाये है। अब बाकी लेना कुछ भी आपकी तरफ बिक्री मोबादले बाबद रहा नहीं। उपर लिखा हुवा सब मकान हमने आपके कब्जे मे दे दिया है। सदर मकान हमने आपको बिक्री कर देने से इसके मालकी के जो जो हक्क हमको थे। वह सब हक्क रद्द होकर आपको इस बिक्रीखत के जरीये मकान के मालकी के पुर्ण हक्क प्राप्त हो गये है। अब आपने इस मकान पर मालकी करके मकान का उपभोग आपने आपके इच्छानुसार हमेशा

४०८
१२।५।९६

५०

~~सीताराम लालचंद चौधरी मालीक [illegible]~~

~~चौधरी [illegible] चौधरी~~

[illegible]

रतनलाल
[illegible] कलेक्टरेट
इन्दौर (म. प्र.)

9 Rs

INDIA

नौ रुपया

NINE RUPEES भारत NINE RUPEES

लेते जाना :-

इस मकान के मालकी बाबत कोई भी वारिस या हकदार खड़ा होकर आपसे दावा झगड़ा करेगा या आपके कब्जे मे किसी भी तरह की हरकत लावेगा तो उसका मन हम हमारे घरखर्च की से मनावेगें आपको कोई वजह तोषिश या खर्चा लगने देवेंगे नहीं ।

सदर मकान हमने आपके सिवाय किसी जगह गिरवी या बिक्री किया हुआ नहीं है। और ना कोई को दान या बक्षिस मे दिया है। सदर मकान हमारे मालकी का होकर बिक्री करने का संपूर्ण अधिकार है।

इस मकान का म्यु०पा० टैक्स आज तक का हम देवेगें आगे के लिये आपने देते जाना और आपका नाम म्यु०पा० मे दाखल करवा लेना ।

बिक्री किये हुवे मकान के मालकी बाबत [illegible] रजि०नो०नं. का है। उसमे पुरे मकान का खुलासा होनेसे ह मने आपको दिया नहीहै।

यह मकान का विक्रीखत हमने हमारी राजी खुशी से होशहवास मे नशा पानी न करी लिख दिया सो सही फक्त तारीख ~~[illegible]~~ २५।१।१९९८

मदनलाल चौधरी

हस्ते हनुमान राव पी.

साक्षी

सही

१. रामलाल आर

[illegible]

[illegible]

[illegible] सीताराम [illegible]

मदनलाल चौधरी

किये हुवे मकान की हदहुदद व चतु:सिमा निचे लिखे मुजब है:-

४१० / १२।७।९६

[illegible]

सीताराम लालचंद चौधरी मालिक [illegible] सि. [illegible]

चौधरी [illegible] [illegible] चौधरी द.[illegible]

[illegible]

रतनलाल

[illegible] इन्दौर (म.)